



Neutral Citation No. - 2026:AHC:163364

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 संख्या- 7964/2026

अनुरुद्ध सिंह

..... आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : आनंद कुमार शुक्ला, लोक नाथ शुक्ला

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आनंद कुमार शुक्ला तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।

2- वर्तमान आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 41 सन् 2026, धारा 318(4), 336(3), 338, 340(2), 111(3), 61(2), 308(6) बी.एन.एस. तथा धारा 66(सी), 66(डी) आई.टी. अधिनियम, थाना-रिउना, जनपद-कानपुर नगर के अन्तर्गत इस प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है कि उसे अग्रिम जमानत प्रदान की जाए।

3- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है और उसे वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। कथित अपराध से उसका कोई लेना-देना नहीं है, इसके बावजूद पुलिस आवेदक को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। प्रथम सूचना रिपोर्ट आवेदक सहित 37 व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज की गई थी। कुल 20 व्यक्तियों को मौके पर गिरफ्तार किया गया था। आवेदक को मौके पर गिरफ्तार नहीं किया गया था और उसका नाम सह-अभियुक्त पारस कुमार के इकबालिया बयान में सामने आया है। उपर्युक्त सह-अभियुक्त के इकबालिया बयान के अतिरिक्त कोई अन्य संपुष्टिकारक साक्ष्य नहीं है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि सह-अभियुक्त का इकबालिया बयान साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



है। उसे दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से झूठा फंसाया गया है। आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक विवेचना एवं विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देता है तथा विवेचना अभिकरण अथवा संबंधित न्यायालय द्वारा जब भी अपेक्षित किया जाएगा, तब उपस्थित होगा। यह भी कहा गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, विवेचना में सहयोग करेगा तथा न्यायालय द्वारा अधिरोपित की जाने वाली सभी शर्तों का पालन करेगा।

4- दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया है, तथापि उन्होंने तथ्यात्मक पहलू पर विवाद नहीं किया है।

5- मैंने दोनों पक्षों की प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।

6- सुशीला अग्रवाल एवं अन्य बनाम दिल्ली राज्य (एन.सी.टी.) एवं अन्य, (2020) 5 एससीसी 1 में माननीय शीर्ष न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने हेतु आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, उसके द्वारा विवेचना की दिशा को प्रभावित करने अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने, जिसमें साक्षियों को डराना-धमकाना भी शामिल है, की संभावना, न्याय से फरार होने की संभावना, जैसे कि देश छोड़ देना आदि पर विचार करना होता है। आगे यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि अग्रिम जमानत प्रदान की जाए अथवा अस्वीकार की जाए, इस पर विचार करते समय न्यायालयों को सामान्यतः अपराधों की प्रकृति एवं गंभीरता, आवेदक को आरोपित भूमिका तथा प्रकरण के तथ्यों जैसे विचारों द्वारा निर्देशित होना चाहिए। प्रदान करना है अथवा नहीं, यह विवेकाधिकार का विषय है।

7- सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2022) 1 सर्वोच्च न्यायालय प्रकरण 676 में माननीय शीर्ष न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारे संवैधानिक अधिदेश का एक महत्वपूर्ण पहलू है। विवेचना के दौरान किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करने का अवसर तब उत्पन्न होता है जब अभिरक्षात्मक विवेचना आवश्यक हो जाती है या वह जघन्य अपराध हो अथवा जहां साक्षियों को प्रभावित करने की संभावना हो या अभियुक्त फरार हो सकता हो। केवल इसलिए कि गिरफ्तारी की जा सकती है क्योंकि वह विधिसम्मत है, यह अधिदेशित नहीं करता कि गिरफ्तारी अवश्य की जानी चाहिए। गिरफ्तारी करने की शक्ति के अस्तित्व और उसके प्रयोग के औचित्य के बीच अंतर किया जाना चाहिए। यदि गिरफ्तारी नियमित रूप से की जाती है, तो इससे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और आत्म-सम्मान को असीमित क्षति हो सकती

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



है। यदि विवेचना अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि अभियुक्त फरार हो जाएगा अथवा समन की अवहेलना करेगा और वास्तव में अभियुक्त ने पूरी विवेचना के दौरान सहयोग किया है, तो अधिकारी पर अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए कोई बाध्यता नहीं है।

8- अग्रिम जमानत के संबंध में विधि के स्थापित सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की प्रस्तुतियों, आरोप की प्रकृति, आवेदक की भूमिका तथा प्रकरण के सभी संबद्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने का प्रकरण बनता है।

9- तदनुसार, अग्रिम जमानत आवेदन निम्नलिखित निर्देशों के साथ **स्वीकार** किया जाता है:-

(i)- आवेदक-**अनुरुद्ध सिंह** की गिरफ्तारी की स्थिति में, जो उपर्युक्त प्रकरण में सम्मिलित है, उसे विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर, संबंधित थाने के थाना प्रभारी अथवा संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए 50,000/- रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर रिहा किया जाएगा।

(ii)- आवेदक विवेचना के दौरान विवेचना अधिकारी के साथ सहयोग करेगा तथा विवेचना संचालित करने के प्रयोजन से जब भी आवश्यक हो, विवेचना अधिकारी के समक्ष उपस्थित होगा;

(iii)- आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को, ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख करने के लिए, कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा; और

(iv)- आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

10- किसी भी शर्त के उल्लंघन अथवा दुरुपयोग की स्थिति में, लोक अभियोजक/विवेचना अधिकारी/प्रथम सूचनाकर्ता-शिकायतकर्ता, आवेदक को प्रदान की गई अग्रिम जमानत को निरस्त किए जाने हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष उचित आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

5 अगस्त, 2026

ए.पी. पाण्डेय

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।